

कार्यवृत्त
मंगलवार, 02 आश्विन, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 18 सितम्बर, 2018)

खण्ड-51
अंक-1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" के साथ आरम्भ हुआ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, मा0 सदस्य ने कहा कि आज प्रातः एक पूर्व मा0 सदस्य को पास दिखाने पर भी विधान सभा परिसर के अन्दर नहीं आने दिया गया। इस संबंध में उन्होने मा0 अध्यक्ष से संरक्षण का अनुरोध किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि पास धारकों को नियमानुसार अन्दर आने दिया जाये।

नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों ने बढ़ती महंगाई के सम्बन्ध में दी गयी नियम-310 की सूचना को प्राथमिकता के आधार पर लेने का अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें। परन्तु विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे नियम-310 की इस सूचना को नियम-58 के अर्न्तगत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली तथा मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश में सूचनाओं के उत्तर, सत्रावसान के एक माह की अवधि के भीतर दिये जाने की व्यवस्था है। किन्तु विगत सत्र की सूचनाओं के उत्तर इस सत्र में मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि नियम-300 के अर्न्तगत सूचनाओं के उत्तर एक माह में दिये जा रहे हैं किन्तु कतिपय विभागों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये जायेंगे। इस पर श्री अध्यक्ष ने अपना विनिश्चय सुरक्षित रखा।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने शोकोद्गार व्यक्त किये।

12 बजकर 30 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये :-

1. श्री सतपाल महाराज

12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

2. श्री मदन कौशिक

3. श्री बंशीधर भगत

4. श्री मुन्ना सिंह चौहान

5. श्री यशपाल आर्य

6. श्री सुरेश राठौर

7. काजी मौ0 निजामुद्दीन

8. श्री देशराज कर्णवाल

9. श्री अरविन्द पाण्डे

10. श्री हरबंस कपूर

11. श्री रघुनाथ सिंह चौहान

12. श्री विनोद चमोली

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 40 मिनट पर भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक स्थगित

हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

मा0 मुख्यमंत्री ने भी स्व0 श्री वाजपेयी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किये।

श्री अध्यक्ष ने सदन की संवेदनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए शोकोद्गार व्यक्त किये। तत्पश्चात सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख लिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु पढ़ी गयी—

1. श्री सहदेव सिंह पुण्डरीर विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शीशमबाड़ा में ट्रेचिंग ग्राउण्ड को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना विधान सभा क्षेत्र सल्ट के खल्डुवा-गोलना में स्वीकृत मोटर पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने से क्षेत्रीय जन्ता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
3. श्री महेश सिंह नेगी (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)
4. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी विधान सभा क्षेत्र चम्पावत में स्थापित डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रोद्योगिकी संस्थान में आवश्यक सुविधाओं की कमी व भवन निर्माण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
5. श्रीमती मीना गंगोला विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर से दौला, नैनीशिमला, सिमायल, भूलकी अध्याली, चामाचौड़ एवं चौखुना मोटर मार्ग का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जन्ता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया की राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ब्लाक रायपुर, अजबपुरकलां के विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में बैठे हैं।

6. श्री राजकुमार विधान सभा क्षेत्र पुरोला के गोविन्द पशु वन विहार में रह रहे 42 गाँवों के लगभग 19,991 लोगों के विस्थापन के सम्बन्ध में।
7. श्री हरबंस कपूर विधान सभा क्षेत्र देहरादून के मिठ्ठीबेरी (प्रेमनगर) के खसरा न0 23 बंजर में बसे शरणार्थी परिवारों के दुकानों एवं आवासों को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत पेट्रॉल-डीजल पर राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर को कम करने के सम्बन्ध में दी गई नियम-310 की नियम-58 में परिवर्तित सूचना पर नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल एवं श्री हरीश धामी ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया। उत्तर भाषण से सन्तुष्ट न होने पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के मा0 सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम-58 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा कम दिये जाने के कारण उत्पन्न आक्रोश विषयक नियम-58 की सूचना पर श्री हरीश धामी तथा श्री आदेश सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

भारत सरकार द्वारा जनपद हरिद्वार तथा जनपद ऊधमसिंह नगर को अकांक्षा जनपद घोषित किये जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा बजट इन जिलों के लिए धन का कोई अतिरिक्त प्राविधान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने अपने विचार व्यक्त किये।

05:25 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

वर्ष 2011 में प्रदेश में चार नये जनपदों डीडिहाट, यमुनोत्री, रानीखेत तथा कोटद्वार के गठन की अधिसूचना जारी हाने के उपरान्त आज तक भी उनके अस्तित्व में न आने से प्रदेश की जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री करण महारा, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2018) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2018) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने 'उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद नियमावली' 2018 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 से 2014-2015 सदन के पटल पर रखा।

सभापति आश्वासन समिति ने उत्तराखण्ड विधान सभा की आश्वासन समिति का सत्ताईसवाँ, अट्ठाईसवाँ, उन्तीसवाँ, तीसवाँ तथा इकतीसवाँ प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा।

मा0 उपाध्यक्ष ने उत्तराखण्ड विधान सभा की नियम समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि:-

- (1) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का तेरहवां अधिनियम बन गया।
- (2) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन), विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का चौदहवां अधिनियम बन गया।
- (3) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

- (4) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का सोलहवां अधिनियम बन गया।
- (5) उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का अठारवां अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 14 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का बीसवां अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।
- (10) उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का बाईसवां अधिनियम बन गया।
- (11) उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का तेईसवां अधिनियम बन गया।
- (12) पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2018 विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।
- (13) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय

राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

- (14) अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण)(विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2018 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।
- (15) उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया ग उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018या था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 मई, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 का सताईसवां अधिनियम बन गया।
- (16) उत्तराखण्ड धर्म स्वतन्त्रता विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 मई, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का अठ्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-ठकसा में मैन रोड से कंवर सिंह के खेत तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रविन्द्र पुत्र श्री सेवाराम ग्राम ठकसा पो0 मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-खुण्डेवाली में मैन रोड से बिरम सिंह के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बृहम सिंह नेता पुत्र श्री मान सिंह नेता ग्राम खुण्डेवाली पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सुल्तानपुर साबतवाली में मैन रोड से नरेन्द्र के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सदेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह ग्राम साबतवाली पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-हरजौली झोझा में कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में" नादिमा पुत्र मुरसलीन ग्राम हरजौली झोझा पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-साबतवाली में महाड़ी की चारदीवारी के सम्बन्ध में" श्री श्रवण चौधरी पुत्र श्री मानसिंह ग्राम साबतवाली पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बंशीधर भगत, सदस्य विधान सभा द्वारा "चांदनी चौक घुरदौड़ा(कलीपुर), में सी0 सी0 मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अशोक कुमार भट्ट, ग्राम चांदनी चौक घुरदोड़ा (कालीपुर) पो0 देवलचौड़, हल्द्वानी जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बंशीधर भगत, सदस्य विधान सभा द्वारा "चांदनी चौक घुरदौड़ा एलोपैथी चिकित्सालय सम्पर्क कार्य निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रूप सिंह विष्ट, ग्राम चांदनी चौक घुरदोड़ा पो0 देवलचौड़, हल्द्वानी जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम डेलना में तालाब की पैचिंग व सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री बाबू राम पुत्र श्री फूल

सिंह, ग्राम डेलना पो० झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम खडखडी दयाला में झबरेड़ा सीडकी मार्ग से रविदास मन्दिर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" डा० सुरेश चौधरी पुत्र श्री दिलेराम ग्राम खडखडी दयाला पो० झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हीराहेडी में पानी की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप पुत्र श्री देवीचन्द ग्राम हीराहेडी पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम डेलना में वाल्मिकी बस्ती से झबरेड़ा इकबालपुर मैन रोड तक पी०सी०सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री दीपक सिंह पुत्र श्री कंवरपाल सिंह ग्राम डेलना पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कृष्णा नगर में शिवमन्दिर का सौन्दर्यकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री अमर सिंह गहलोट पुत्र श्री ताराचन्द ग्राम कृष्णा नगर पो० रुड़की जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम देवपुर में शिवमन्दिर का सौन्दर्यकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री बाबू राम पुत्र श्री फूल सिंह ग्राम डेलना पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लाठरदेवा हूण में रविदास मन्दिर के सौन्दर्यकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री समन्द्र सैन पुत्र श्री भूरा सिंह ग्राम लाठरदेवाहूण पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हैश्यामपुर में मन्दिर का सौन्दर्यकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री चतर सिंह पुत्र श्री पचपलासिंह ग्राम हैश्यामपुर, पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लाठरदेवा हूण में श्मशान घाट की चारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री भूरा सिंह पुत्र श्री बलजीत ग्राम लाठरदेवाहूण पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर से श्यामपुर होते हुए कोटवाल तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री राजवीर पुत्र श्री भोपाल ग्राम हैश्यामपुर पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ाके ग्राम कुमराड़ा ग्राम में तालाब की पैचिंग के सम्बन्ध में" श्री प्रवीण पुत्र श्री बिजेन्द्र ग्राम कुमराणा पो० मगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कुमराडा से ग्राम ठसका लिंक रोड पी० सी० सड़क के सम्बन्ध में" श्री विरेन्द्र पुत्र श्री

ब्रह्मदत्त ग्राम ठसका पो0 मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम मखदुमपुर में प्रधान विजय कुमार के चौक से सढोली काहबोली मार्ग तक पी0 सी0 सड़क के सम्बन्ध में" श्री रजत कुमार पुत्र श्री देशराज ग्राम मखदुम पुर पो0 मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम ताशीपुर से पाडली गुर्जर फाटक से इकबालपुर मार्ग तक पी0 सी0 सड़क के सम्बन्ध में" श्री राजेश पुत्र श्री प्रेम ग्राम व पो0 ताशीपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत तहसील बालगंगा की गोनगढ़ पेयजल योजना हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में" श्री राजेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, ग्राम-श्रीकोट गांव, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत तहसील घनसाली एवं बालगंगा के दैवीय आपदा एवं भूस्खलन से प्रभावित गांवों को पुर्नवासित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री धनपाल सिंह राणा, ग्राम-धारगांव, पो0 धोपड़धार भिलंग, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना का पुनर्गठन कर पृथक बालगंगा विकासखण्ड सृजन के सम्बन्ध में" श्री राजकुमार कठैत पुत्र श्री उत्तम सिंह, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत भिलंग घाटी में अनेक पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर विकसित करने के सम्बन्ध में" श्री त्रेपन सिंह बर्त्वाल, ग्राम गंवाणा मल्ला भिलंग, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी बांध से प्रभावित ग्राम पिलखी, बौर, पिपोला, असेना, देवल, चाकरूसेरा आदि के विस्थापन के सम्बन्ध में" श्री कृष्णा गैरोला, ग्राम पिलखी, पो0 पिलखी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं जल संस्थान विभाग को केन्द्र पोषित योजना एन0 आर0 डी0 डब्लू0 पी0 के तहत आवंटन होने वाली धनराशि का प्रतिशत बढ़वाने के सम्बन्ध में" श्री त्रेपन सिंह बर्त्वाल, ग्राम गंवाणा मल्ला भिलंग, पो0 धुत्रु, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट, मुनार बैण्ड (भद्रतुंगा से सूपी) मोटर मार्ग के मानकानुसार निर्माण कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में" श्री कवीन्द्र सिंह, पुत्र श्री जोगा सिंह ग्राम मुनार, पो0 मुनार, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत हरसीला नान कन्याली कोट मोटर मार्ग का मानकानुसार निर्माण कार्य न होने के सम्बन्ध में" श्री जमन सिंह, पुत्र श्री शोवन सिंह ग्राम हरसीला, पो0 हरसीला, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी-वाछम मोटर मार्ग का मानकानुसार निर्माण कार्य न होने के सम्बन्ध में" श्री लाल सिंह, पुत्र श्री प्रेम सिंह ग्राम रिखाड़ी, पो0 रिखाड़ी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत लीती-गोगिना मोटर मार्ग का मानकानुसार निर्माण कार्य न होने के सम्बन्ध में”

श्री गोपाल सिंह, पुत्र श्री हर सिंह ग्राम लीती, पो0 रिखाड़ी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कपकोट-कर्मि मोटर मार्ग का मानकानुसार निर्माण कार्य न होने के सम्बन्ध में” श्री शेर सिंह, पुत्र श्री गंगा सिंह ग्राम भगर, पो0 भगर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कन्यालीकोट-जगथाना मोटर मार्ग का मानकानुसार निर्माण कार्य न होने के सम्बन्ध में” श्री उम्मेद सिंह, पुत्र श्री पदम सिंह ग्राम कन्यालीकोट, पो0 कन्यालीकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री शीशपाल, पुत्र श्री राजपाल ग्राम डाडली, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबीरड़ में रविदास मन्दिर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में” श्री हिटलर पुत्र श्री मंगलसैन ग्राम झबीरड़ पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम भिस्तीपुर में अम्बेडकर पार्क के सम्बन्ध में” श्री अंकित कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह ग्राम भिस्तीपुर पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम अकबरपुर में कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री इकराम अली पुत्र श्री जुल्फकार ग्राम अकबरपुर पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबीरड़ में तेल्लूराम सैनी के खेत से ग्राम ढसका भट्टे की ओर लिंक रोड़ का निर्माण के सम्बन्ध में” श्री अनुज पुत्र श्री प्रीतम ग्राम झबीरड़ पो0 मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबीरड़ से देवबन्द रोड तक पी0 सी0 सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री रामचन्द्र ग्राम झबीरड़ पो0 मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम ताशीपुर में बारात घर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में” श्री श्रवण पुत्र श्री कमलेश ग्राम व पो0 ताशीपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन), विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन), विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 17 सितम्बर, 2018 की बैठक में दिनांक 18 सितम्बर, 2018 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

सितम्बर, 2018

18 (मंगलवार) (1) अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना।

(2) औपचारिक कार्य।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 में कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा10 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड़ (जौनपुर) जनपद टिहरी गढ़वाल में रेडियोलॉजिस्ट, आर्थोपैडिक तथा अन्य चिकित्सक की तैनाती न होने से जनता को होने वाली कठिनाई के संबंध में है, को नियम-53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा10 सदस्य श्री सुरेश राठौर की सूचना, जो कि उत्तराखण्ड प्रदेश में इस वर्ष भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदा से हुई जान-माल की क्षति व सड़क यातायात मार्ग ध्वस्त हो जाने के सम्बन्ध में है, को नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 06 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।